



लंबित मामलों का बोझ

हाईकोर्टों में 58.5 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 69000 मामले लंबित हैं। इसकी एक बड़ी वजह जजों की कमी भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो वहां जजों के कुल 67 पद खाली पड़े हुए हैं।

अंजु सिंह।

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के क्रम में उत्तर प्रदेश की अदालतों में लंबित पड़े मामलों की जो तस्वीर उभरी है, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इससे पता चलता है कि यूपी में किसी निचली अदालत द्वारा किसी अपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया कोई व्यक्ति अगर हाईकोर्ट में अपील करता है, तो उसे इंसाफ के लिए औसतन 35 साल इंतजार करना पड़ता है। यानी अगर किसी पर गंभीर धाराओं के अपराध दर्ज हैं, जिनमें जमानत मिलना मुश्किल होता है तो बहुत संभव है उसे फौसला आने से पहले बरसों बरस जेल में ही बिताना पड़ जाए। यह मामला दरअसल सुप्रीम कोर्ट पास

कई याचिकाओं के रूप में आया, जिनमें अदालत से गुहार लगाई गई थी कि वह दखल देकर बरसों से (कई मामलों में तो 14 बरस से भी ज्यादा) जेल में पड़े सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों को जमानत देने की राह खोले। सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों से साफ होता है कि हाईकोर्ट की इलाहाबाद और लखनऊ बेंचों के पास इस समय 1,83,000 अपराधिक अपीलें लंबित हैं। पिछले पांच वर्षों में कोर्ट ने 16,279 अपराधिक अपीलें निपटाई हैं, लेकिन इसी अवधि में 41,151 नए अपीलिय मामले आ गए हैं। अपराधिक अपीलिय मामले निपटाने की कोर्ट की रफ्तार 18 फीसदी बताई जाती है। इस मामले में भले बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की अदालतों की हो



रही हो, देश के अन्य राज्यों में भी कोई बेहतर हालात नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश भर की जिला अदालतों और निचली अदालतों में 3.9 करोड़ मामले लंबित हैं। हाईकोर्टों में 58.5 लाख और सुप्रीम कोर्ट में 69000 मामले लंबित हैं। इसकी एक बड़ी वजह जजों की कमी भी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बात करें तो वहां जजों के कुल 67 पद खाली पड़े हुए हैं। ऐसा ही अन्य कोर्टों में भी है। इन पदों को जल्द से जल्द भरने का इंतजाम भी होना चाहिए, शीघ्र सुनवाई और जल्द फैसले सुनिश्चित करने से जुड़ी अन्य सिफारिशों पर अमल

के प्रयास भी साथ-साथ चलने चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले जेलों में अपनी सुनवाई का इंतजार कर रहे कैदियों को तत्काल राहत देने की व्यवस्था होनी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जघन्य अपराध और आदतन अपराध से जुड़े मामलों को छोड़कर आजीवन कैद के मामले में दस साल और अन्य मामलों में तय सजा की आधी अवधि जेल में गुजार चुके कैदियों को जमानत दी जा सकती है। इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यह भी जरूरी है कि राहत देने का ऐसा कोई फॉर्म्युला सिर्फ यूपी तक सीमित न रहे। चूंकि समस्या पूरे देश की है, इसलिए इलाज के दायरे में भी पूरे देश को शामिल किया जाना चाहिए।

पालन पोषण

अशोक बोहरा।
हंस किसी प्रकार गांव से आग ले आया। योगी ने आग जला दी। फिर पेड़ से गिराए गए फलों को इकट्ठा किया। राजा मांसाहारी था। हंस ने हंसिनी से कहा, 'प्रिये, मेरे न रहने पर तुम बच्चों का पालन पोषण कर लोगी, किंतु मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा, इसलिए पेड़ के नीचे जलती आग में गिरकर प्राण दे रहा हूँ, ताकि राजा की भूख शांत हो सके।' यह कहकर हंस आग में गिर पड़ा। योगी फल खाकर कुछ सोचने लगा। दूसरी ओर राजा अब भी भूख से परेशान हो रहा था। तब हंसिनी भी अपने बच्चों के साथ जलती आग में गिरी। सभी को खाकर राजा के पेट की भूख शांत हो गई। योगी और राजा शांत्मली वृक्ष के नीचे सो गए। प्रातः काल होने पर राजा श्यामसिंह ने कहा, 'अब मेरे सवालों का जवाब मिलना चाहिए।'

धर्म-दर्शन



संपादकीय

दो टूक फैसला

सेना भेजने के निर्णय में पटेल की भूमिका को नकारा जाता है। एस. गोपाल ने लिखा है कि सेना भेजने का निर्णय मंत्रिमंडल का था। हालांकि लगभग पूरा मंत्रिमंडल अनिर्णय की स्थिति में था। बक्शी गुलाम मोहम्मद शेख अब्दुल्ला के सहायक थे और दिल्ली की बैठक में उपस्थित थे। वह लिखते हैं कि 'लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंडितजी, सरदार पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ सर राय बुकर, कमांडर-इन-चीफ जनरल रसेल, आर्मी कमांडर और मैं उपस्थित थे। जनरल बुकर ने जोर देकर कहा कि उनके पास संसाधन इतने कम हैं कि राज्य को सैनिक सहायता देना संभव नहीं। माउंटबेटन ने निरुत्साहपूर्ण झिझक दर्शाई। पंडितजी ने तीव्र उत्सुकता और शंका प्रकट की। बक्शी के अनुसार पटेल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। सहसा सरदार हिले और कठोर एवं दृढ़ स्वर में अपना विचार व्यक्त किया, 'जनरल हर कीमत पर कश्मीर की रक्षा करनी होगी। संसाधन हैं या नहीं, आपको यह तुरंत करना चाहिए। सरकार आपकी हर प्रकार की सहायता करेगी। यह अवश्य होना और होना ही चाहिए।' जनरल के चेहरे पर उत्तेजना के भाव दिखाई दिए। जनरल की इच्छा आशंका जताने की रही होगी, किंतु सरदार चुपचाप उठे और बोले, 'हवाई जहाज से सामान पहुंचाने की तैयारी सुबह तक कर ली जाएगी।' इस तरह जम्मू-कश्मीर की रक्षा सरदार पटेल की चारित्रिक दृढ़ता और त्वरित निर्णय लेने और सबको निर्णय के साथ रहने के लिए तैयार करने की उनकी क्षमता के कारण संभव हो सकी। वह हर हाल में जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे और प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले को अपने हाथों में ले लिए जाने के बावजूद उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

हां, उनके बोलने के बाद कुछ सदस्यों ने जरूर कहा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरदार पटेल हैदराबाद से लेकर जूनागढ़ तक के देसी रियासतों के विलय को अंजाम दे रहे थे।

बेतुका आरोप

अवधेश कुमार।

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जम्मू-कश्मीर से कार्यसमिति के सदस्य तारिक हामिद करार ने जिस तरह सरदार पटेल की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर पर वह उदासीन थे और यह कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्वरित पहल नहीं की होती तो वह पाकिस्तान के कब्जे में चला जाता, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हैरत की बात है कि तारिक हामिद ने जब बोलना शुरू किया तो किसी ने उन्हें टोका तक नहीं। हां, उनके बोलने के बाद कुछ सदस्यों ने जरूर कहा कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरदार पटेल हैदराबाद से लेकर जूनागढ़ तक के देसी रियासतों के विलय को अंजाम दे रहे थे।

पटेल जैसे व्यक्ति पर कश्मीर के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाना उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को ही कटघरे में खड़ा करना है। हालांकि लंबे समय से एक तबका यह साबित करने का प्रयास करता रहा है कि पटेल जम्मू-कश्मीर को भारत में रखना ही नहीं चाहते थे। सर्वपल्ली गोपाल ने पं. नेहरू की आत्मकथा पुस्तक में यही साबित करने का प्रयास किया था। राजेंद्र सरिन ने अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान- द इंडिया फैक्टर' में लिखा है कि पटेल ने पाकिस्तान के मंत्री सरदार अब्दुल रब निश्तार से बात करते



हुए कहा कि 'भाई, हैदराबाद और जूनागढ़ पर बातचीत छोड़ो। कश्मीर ले लो और मुद्दे को सेटल करो।' सरिन ने पाकिस्तान संविधान सभा के एक सदस्य सरदार शौकत हयात को उदघुत किया है, जो उनके अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच बातचीत के समय उपस्थित थे। इसके अनुसार माउंटबेटन ने लियाकत अली को पटेल का यह संदेश दिया कि पाकिस्तान हैदराबाद से बाहर हो जाए तो भारत कश्मीर छोड़ देगा। इसके अनुसार जून 1947 में माउंटबेटन ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर वह पाकिस्तान में विलय कर लेते हैं तो

भारत इसका विरोध नहीं करेगा, हमें पटेल ने स्वयं इसके लिए आश्वासन दिया है। गृहमंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों से संबंधित मामलों का मंत्री होने के नाते सरदार पटेल जम्मू-कश्मीर मामले को भी देखते थे। बाद में जम्मू-कश्मीर मामले को प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू स्वयं देखने लगे। जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री पं. रामचंद्र काक को 3 जुलाई, 1947 को लिखे पत्र में पटेल कहते हैं, 'मैं कश्मीर की विशेष कठिनाइयों को समझता हूँ, किंतु इतिहास और पारंपरिक रीति-रिवाजों आदि को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं है।' भविष्य का ध्यान रखते हुए सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह के साथ अच्छे संबंध बनाए थे और उन्हीं की सलाह से महाराजा ने पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को रामचंद्र काक की जगह प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जम्मू-कश्मीर के सामरिक महत्व को देखते हुए सरदार पटेल उसका भारत में विलय चाहते थे। माउंटबेटन ने जरूर यह आश्वासन दिया कि यदि कश्मीर पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहे तो भारत समस्या खड़ी नहीं करेगा। सरदार पटेल ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। बस, योजनाबद्ध तरीके से वह चुप रहे क्योंकि उस समय यही सम्योचित था।

सूडूकु नवताल 5201		****	
4	1 9	8 5	
	7 3		
	3	4 7	
9			2
8 5		6	
	5 8		
7 4			
6 2			5

अपना ब्लॉग

मुद्दे को भी देश-हित में सुलझा लेता

मोहन। सरदार पटेल ने एच.वी. कामत को बताया था कि 'यदि जवाहरलाल नेहरू और गोपालस्वामी आयंगर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करते और उसे गृह मंत्रालय से अलग न करते तो मैं हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी देश-हित में सुलझा लेता।' जब स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी कश्मीर में घुसपैठ करने जा रहे हैं और सेना को भी घुसाने की योजना है तो 27 सितंबर, 1947 को नेहरू जी ने सरदार से कहा, 'मैंने प्रधानमंत्री महाजन को भी परिस्थिति से अवगत करा दिया है, किंतु उनके मन में क्या है इसका पता नहीं चल सका है। महाराजा और महाजन के लिए आपकी सलाह अधिक प्रभावी रहेगी।' सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह और प्रधानमंत्री महाजन को समझाया कि आपके पास भारतीय संघ में विलय का ही विकल्प है। इस बीच समाचार मिला कि पाकिस्तानी हमलावरों ने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर सेना को कश्मीर भेजने का निर्णय लिया।

